(122)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क.क/2017 निगरानी   P 1178-पी-17

श्रीराम गौड (बढई) पुत्र श्री तेजसिंह

निवासी– ग्राम नैपरी, तहसील कैलारस,

जिला मुरैना म.प्र.

.... आवेदक

बनाम

म.प्र.शासन .... अनावेदक

लखन सिंह धाकड़ द्वारा आज दि. 18/04/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 18-4-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला मुरैना के प्र. क. 12/15–16/स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23.12.16 के विरूद्ध जानकारी दिनांक से अंदर अवधि प्रस्तुत।

18.04.17
Lakhan Singh Dhakar
Advocate

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

–: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

A. यहकि, प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 1189/2 ग्राम नैपरी तहसील कैलारस जिला मुरैना में स्थित है जिसका विधिवत पटटा आवेदक के बाबा बिहारी लाल को हुआ था वर्ष 1963 में बिहारी लाल की मृत्यु होने के बाद तेजसिंह पुत्र बिहारी का नामांतरण हो गया था। नायब तहसीलदार महोदय के प्रकरण कमांक 26/85–86 अ–19 आदेश दिनांक 12.06.86 से तेजसिंह पुत्र बिहारी लाल को पटटे से भूमि स्वामी घोषित किया गया। उक्त भूमि पर काबिज होकर खेती करते चले आ रहे हैं। तेजसिंह पुत्र बिहारी लाल की मृत्यु होने के पश्चात उनके वारिसानों के नाम पर नामांतरण पंजी कमांक 19 दिनांक 29.03.13 से आदेश दिनांक 14.04.13 को नामांतरण स्वीकार किया गया था।

B. यह कि आवेदक की प्रश्नाधीन भूमि में से रकबा 0.826 हैक्टेयर भूमि मुरैना सबलगढ राजमार्ग पर क्वारी नदी ग्राम नैपरी, तहसील कैलारस पर नवीन पुल एवं पहुचमार्ग निर्माण होना है जिसके लिये आवेदकगण की भूमि अधिगृहण की

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1178–दो/17 जिला –मुरैना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-7-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर मुरैना के प्रकरण कमांक 12/स्व0 निगरानी/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2016 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई, निगरानी के साथ आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 4 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	